कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई,बाल अधिकारिता विभाग
261, राजेन्द्र नगर भरतपुर

क्रमांक : 195 दिनांक : 27.7.16

निविदा सूचना

जिले में विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं बालिका गृह हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा, जैमर, इन्वर्टर, अग्निशमन यंत्र एवं डेजर्ट कूलर क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्रतिष्ठित एवं अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म निम्नानुसार अंकित तिथियों तक इस कार्यालय में शीलबंद निविदायें प्रस्तुत कर सकते हैं:-

क्रम सं.	समग्री का विवरण	अनुमानित लागत रु0	धरोहर राशि रु0	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0	निविदा प्रपत्र बिक्रय की अंतिम तिथि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	सी.सी.टी.वी. कैमरा सैट एवं जैमर(जीएसएम / सीडीएमए)	94,000	2000	200	11.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक	11.08.2016 को सांय 3.00 बजे तक
2.	इन्वर्टर मय फिटिंग	50,000	1000	200	11.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक	11.08.2016 को सांय 3.00 बजे तक
3.	डेजर्ट कूलर	70,000	1500	200	11.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक	11.08.2016 को सांय 3.00 बजे तक
4.	फर्नीचर	1,40,000	3000	200	11.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक	11.08.2016 को सांय 3.00 बजे तक
5.	एल.ई. डी. टी.वी. फुल एच.डी. 32 इन्च एवं 235 लीटर फ्रिज फाइव स्टार	35000	1000	200	11.08.2016 को दोपहर 12.00 बजे तक	11.08.2016 को सांय 3.00 बजे तक

प्रत्येक मद के लिए पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सामग्री का विशिष्टीकरण सहित विवरण विभागीय बेवसाइट **sje.rajasthan.gov.in** , एवं **sppp.rajasthan**.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण ईकाई,
बाल अधिकारिता विभाग भरतपुर

क्रमांक : 196-05 दिनांक 27.7.16

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज.जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग राज.जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोगामर महोदय, समााजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का श्रम करें।
4. श्रीमान् उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / जिला कलक्टर / जिला परिषद / नगर परिषद भरतपुर।
6. राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर भरतपुर को भेजकर निवेदन है कि भरतपुर स्थानीय संस्करण में डी.पी.आर. दर पर न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित करने का श्रम करावें।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण ईकाई,
बाल अधिकारिता विभाग
भरतपुर

<u>निविदा प्रपत्र</u>

विषयः— कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई,बाल अधिकारिता विभाग, भरतपुर के अधीन संचालित राजकीय गृहों हेतु सी.सी.टी.वी /जैमर/फर्नीचर/इर्न्वटर/डेजर्ट कूलर

निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम व डाक का पूरा पता..

....

....

3— सेवामें,
सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर

4— सन्दर्भ ....

5— निविदा शुल्क की रकम 200 रूपये जमा करा दी गई है।
पोस्टल/आर्डर/रसीद/ड्राफ्ट संख्या.................................... दिनांक.................

6— निविदा सूचना संख्या दिनांक जो सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के द्वारा जारी की गई, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत हैं तथा उक्त निविदा की सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिये हम सहमत हैं।

7— सामग्री प्रदाय के लिये दरें एवं प्रदाय की जाने वाली मात्रा परिशिष्ठ पर अंकित है। <u>जिस सामग्री का मेक या ब्रांड नेम आदि देना है तो मेक या ब्रांड नेम भी अंकित करें।</u>

8— ऊपर वर्णित दरें 31.03.2017 तक वैध है। इससे आगे अवधि पारस्परिक सहमति से बढाई जा सकती है।

9— धरोहर राशि हेतु सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर .... रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/रसीद संख्या.................. दिनांक.............. संलग्न है।

10— बिक्री पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र इसके साथ प्रस्तुत है।

11— निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र भी संलग्न है।

संलग्न

1—

2—

3—

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

मोबा0 नं.

C:\Users\Peeyush\Desktop\Left sanction\Tender form (1).doc

सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर
निविदा की शर्ते —————————

निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तो को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिये क्योंकि इन शर्तो का निविदादाता द्वारा पालन करना आवश्यक होगा :—

1. निविदा सील बन्द लिफाफे में प्राप्त की जावेगी। प्रत्येक लिफाफे पर ————— के लिये निविदा स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखा जावे।
2. निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये ————/— (——————) बैंकर चैक/ड्राफ्ट सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। इस अमानत राशि का निम्न परिस्थितयों में समपहरण किया जा सकेगा।
   1— जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
   2— जब निविदा दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार को सम्पादित नहीं करता है।
   3— जब दर स्वीकृति के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
   4— जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय नहीं करता है।
3. उक्त निविदा की दरें दिनांक 31.03..2017 तक विधि मान्य होंगी। जिन्हे परस्पर सहमति के आधार पर बढाया जा सकता है।
4. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार एस.आर. 17 में एक करार पत्र 500/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 48 घण्टे में निविदादाता द्वारा अनुबन्ध निष्पादित करना होगा जिसका खर्चा स्वयं निविदादाता को वहन करना होगा।
5. क्रय आदेश में दी गई समयाबधि के अन्दर आवश्यकतानुसार सामान की आपूर्ति विनिर्दिष्ट स्थान परं करनी होगी जिसके लिये पृथक से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा। साथ ही निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदायगी न हो हाने इस कारण एवं अन्य जो भी ऐसे कारण हो सकते है, जिससे चुनाव संचालन में कहीं असुविधा या व्यवधान होगा, फर्म के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी।
6. सामान की मात्रा में कमी/वृद्वि करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर में निहित होगा।
7. निर्धारित अवधि में सामान की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर होने वाली हानि की वसूली निविदादाता से की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर को होगा निविदा संबंधी सर्वाधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर में सन्निहित है।
9. निविदा के साथ बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदा प्रपत्र में दरें स्याही अथवा टंकण में भरी जावे। पेन्सिल से भरी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. दरें शब्दों एवं अकों, दोनों में अंकित करें तथा दरों में परिवर्तन करने की दशा मे निविदादाता दिनांक सहित हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग नही करें। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये जावे।
12. निविदा में दी गई दरें समस्त करों सहित एफ.ओ.आर होनी चाहिये।

13. निविदादाता माल के निर्माता/वितरक/अधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जावेगी। निविदादाता द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में सलग्न होगा। घोषणा पत्र का प्रारूप (एस.आर– 11 निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न है)
14. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर को अबिलम्ब ससूचित किया जावेगा, तथा इस परिवर्तन से संविदा/निविदा के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उनके पूर्ववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को न तो सौपेगा और न ही सबलैट करेगा। सफल निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तियुक्त समय पर सक्षम प्राधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि को सेवा/सामग्री/प्रदाय का निरीक्षण करायेगा एवं आवश्यक होने पर उचित निर्देश प्राप्त करेगा।
15. निरीक्षण/परीक्षण के दौरान सेवा/सामग्री/प्रदाय का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नहीं होगा उसे रद्द करने का अधिकार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर को होगा।
16. संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म में तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा/जिसे यक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल निविदादाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृति किया जावेगा और उससे से सभी आबद्ध होगो और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
17. करोबारी/प्रचलित फर्म एवं इस क्षेत्र के अनुभव रखने वाली होनी चाहिये।
18. दरें अंकों एवं शब्दो में फोर्मेट की मद युनिटवार स्पष्ट अंकित की जावेगी।
19. केता अधिकारी सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर या उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय जैसा कि केता अधिकारी उचित समझे, निर्माता/आपूर्तिकता के परिसर का निर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद निरीक्षण कर सकेगा तथा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/उपकरण/मशीनो की गुणवत्ता व कार्यकुशलतृा आदि की जांच कर सकेगा एवं तदानुसार कार्य सम्पादन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/उसके किसी भाग को रदद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. सफल निविदादाता को निर्धारित अबधि में निविदा सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि को सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के नाम डी.डी./नगद के माध्यम से जमा करानी होगी जिसमें अमानत के रूप में जमा कराई गई राशि का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
    1– जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तो को भंग किया जाता है।
    2– जब निविदाता संतोषप्रद रूप से निर्धारित अबधि में पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।
    3– इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

23. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग द्वितीय के नियम 68 में अभिकथित प्रारूप एस.आर.–16 को इस संविदा/निविदा का भाग समझा जावेगा, जो निविदादाता पर प्रभावी समझा जावेगा।
24. प्रदाय की गई सभी वस्तुऐं निविदा प्रारूप तथा प्रस्तुत विशिष्टियों में अभिकथत विनिर्देश, ट्रेडमार्क के अनुरूप ही होगी तथा वस्तुऐं आई.एस.आई./आई.एस.ओ. आदि विनिर्देशो के अनुरूप होना अपेक्षित हो तो वे वस्तुऐं उन्हीं विनिर्देशो के अनुरूप होगी तथा उस पर ऐसा मार्का अंकित होना चाहिये।
25. यदि निवदिा सूचना में अथवा आदेशित मात्रा में, जैसी भी स्थिति हो दर्शित मात्रा से कम या अधिक के आदेश दे दिये जाते है, तब भी निविदाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गई दरों और शर्तो पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा। यदि निविदादाता ऐसा करने में विफल रहता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा से या अन्यथा रूप से करें और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से बसूली योग्य होगा।
26. यदि सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर या सक्षम प्राधिकारी निविदत्त वस्तुओं में से किसी वस्तु के प्रदाय का आदेश नहीं करता है अथवा निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजा हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
27. सफल निविदादाता को अपूर्ति किये गये सामान की वारन्टी अबधि लिखित में देनी होगी।
28. निविदादाता को सामान की सुपुर्दगी का भुगतान सामान की संतोषजनक सुपुर्दगी उसकी विशिष्टियो तथा निविदा प्रपत्र के अनुरूप होने की संतुष्टि के बाद क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर बाद क्रय कमेटी अनुमोदन भुगतान किया जावेगा। समस्त निविदाऐं सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के नाम से सम्बोधित की जावेगी। प्रस्तुत निविदाओं के किसी भी भाग को पूर्ण/आंशिक रूप से या सम्पूर्ण निविदा/ किसी एक निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कोई कारण बताये सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई भरतपुर के पास सुरक्षित रहेगे।
29. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा भरतपुर जिला मुख्यालय स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत की जावेगी।
30. इलैक्ट्रोनिक आइटमों का इन्सटालेशन फर्म द्वारा किया जावेगा इस हेतु प्रथक से कोई चार्ज देय नहीं होगा।

सहायक निदेशक
बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई
भरतपुर

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म/व्यक्ति का नाम व पता

क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण (सी.सी.टी./जैमर)						
क्र.सं.	सामग्री का विवरण	प्रस्तावित दर				
	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गह एवं राजकीय बालिका गृह भरतपुर	ए.ओ.सी	सैमसंग	एलजी	ई हॉक	इलैक्ट्रोनिक आई
	कैमरा सी.सी.टी.बी					
1	आउटडोर 1.3 मेगा पिक्सल एच डी					
2	इनडोर 1.3 मेगा पिक्सल एच डी					
3	डी.बी.आर क्षमता 8 कैमरा फुल एच.डी. 1080					
4	हार्ड डिस्क 2000 जी.बी.					
5	एल.ई.डी. 18.5 इंच (एचडीएमआई)					
6	कैमरा सप्लाई					
7	ईन्टोलेशन चार्ज मय वायर					
	जैमर(जीएसएम/सीडीएमए)					
8	रेज 15 मी.					
	ईन्वरटर 900 वी.ए. ब्रांडेड					
	150 एमएच टयूबलर बैटरी					
	इनपुट 180 वी–260 वी					
	आउटपुट 210 वी–5%					
	मिनीमन 2 साल वारंटी फॉर ऑल परपज					

दर परिशिष्ठ डेजर्ट कूलर

क्रम संख्या	मद	विशिष्टीकरण	अनुमानित मात्रा	इकाई	दर प्रति इकाई(सभी कर सहित)
1	डेजर्ट कूलर **(Branded)**	Size : 4 feet Metal Body 20 Gage ISI Marked Exaust Fan Speed 1300 rpm minimum one year warranty Pump 40 W Motor, Can lift water upto 2.6 meters Low electricity consumption	11	प्रति कूलर	

दर परिशिष्ठ फर्नीचर

क्रम संख्या	मद	विशिष्टीकरण	अनुमानित मात्रा	इकाई	दर प्रति इकाई (सभी कर सहित)
1	रिवाल्विंग चेयर	1-Dimensions: H 47" x W 26" x D 23" inches 2-Primary Material: Leatherette 3-Room Type: Office Furniture 4-Warranty: 1 year on product	2	Per chair	
2	ऑफिस स्टील टेबिल	साईजः 1350X600X750 MM एक तरफ तीन दराज स्टील फ्रेम विद माईका टॉप (लेमीनटेड बोर्ड)	1	Per Table	
3	**3 Seater Visitor Bench**	**OverallHeight(cm)** 75 cm **OverallWidth(cm)** 180 cm **Overall Depth(cm)** 75 cm **Weight (KG)** 40 Kg **ArmType** RoundArms **PrimaryMaterial** Metal **Arm Material** Metal **Finish** Natural **Assembly Type** Preassembled	3	Per Bench	
4	स्टॉफ चेयर	Computer chair fixed (Singal Seat & Back with Arm) Size: 575x650x825 mm	18	Per chair	
5	बैंच स्टील Three seater With out Back	Steel Frame (square pipe) With ½" ISI ply & Mica Top	8	Per KG (as per Weight of Frame with out ply)	
6	टेबिल	Steel Frame (square pipe) With ½" ISI ply & Mica Top Size: 6x3 Feet With out drawer/shelf	4	Per KG (as per Weight of Frame with out ply)	

प्रत्येक मद का अनुमानित फोटो संलग्न करें। क्रम संख्या 1 से 4 ब्रांडेड होना आवश्यक है।

दर परिशिष्ठ एल.ई.डी. टेलीवीजन/फ्रिज

क्रम संख्या	मद	विशि टीकरण	अनुमानित मात्रा	इकाई	दर प्रति इकाई(सभी कर सहित)
1	एल.ई.डी. टेलीवीजन ब्रांडेड (प्रतिष्ठित कम्पनी)	80 cm (32 inch) Full HD LED Television	1	प्रति टी.वी.	
2	फ्रिज ब्रांडेड (प्रतिष्ठित कम्पनी)	Capacity(Ltrs) 235 Star Rating 5 No. of Doors 1 WarrantyPeriod Minimum 5 year warranty for All	1	प्रति फ्रिज)	